आरोपी पान सिंह की ओर से श्री पी.के. वर्मा अधि. द्वारा उपस्थित होकर आवेदन पत्र शीघ्र सुनवाई का पेश किया। विचार उपरांत आवेदन स्वीकार कर प्रकरण आज पेशी में लिया गया।

आरोपी पान सिंह सहित श्री पी.के.वर्मा अधि. उपस्थित। उन्होंने आरोपी की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 44(2) दप्रस का पेश किया।

आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपी पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनी मालनपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया है। जिसमें आरोपी की आवश्यकता है। अतः प्रस्तुत आवेदन विचार उपरांत स्वीकार किया जाता है। आरोपी पान सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

आरोपी पान सिंह की ओर से श्री पी.के. वर्मा अधि. द्वारा आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ. का पेश किया। नकल परिवादी अधि. को दी गयी।

उभयपक्ष को आवेदन पर सुना गया।

परिवादी की ओर से जमानत आवेदन पत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

आरोपी की ओर से अपने आवेदन पत्र में यह निवेदन किया है कि उसे प्रस्तुत परिवाद में जानकारी नहीं थी जानकारी होते ही वह न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ है।

आरोपी पर परिवादी कंपनी की ओर से धारा 135 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत 20253 रुपए की उर्जा चोरी के संबंध में परिवाद पेश किया गया है। आरोपी स्वयं उपस्थित हुआ है तथा आरोपित अपराध अजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र विचारोपरांत इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आरोपी प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होने बावत् 15000 हजार रुपए की सक्षम जमानत एवं समान राशि का बंधपत्र पेश करे तो उसे जमानत पर छोडा जावे।

प्रकरण पूर्ववत दिनांक 23.06.17 को पेश हो।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत अपर सत्र न्यायाधीश गोहद